

रकबा में बिजान्त का गइ फसल का सार सम्माल कर रहा था तो उसे दान पात्र का पता चला व तत्पश्चात प्रार्थीगण ने गांव सरदारपुरा खर्था में मिटिंग बुलाई तो अप्रार्थी नं. 1 व 2 में धमकी दी कि वो जैरप्रकरण तमाम रकबा के रहन, बैय कर देंगे। पृथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ना पुरा होने वाला नुकसान प्रार्थीगण को है। इसलिये चक 9 एसपीडी-ए की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 2072 के खाता नं. 21/18 के 7.843 है0 रकबा में अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1.743 है0 रकबा में से 1.247 है0 व अप्रार्थी नं. 2 के नाम 0.506 है0 एवं इसी चक की इसी जमाबन्दी के खाता नं. 22/19 प0न0 99/392 के 1.392 है0 रकबा में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम 0.211 है0 व अप्रार्थी नं. 2 के नाम की 0.253 है0 इस प्रकार दावा के निर्णय तक अप्रार्थी नं. 1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि वो अपने नाम की उक्त रकबा का रहन, बैय ना करें व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

हमने वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए रकबा की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये स्थगन जारी किया जाना उचित समझता हुं।

अतः आगामी तारीख पेशी दिनांक .....30/09/2019..... तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो वादाधीन भूमि चक 9 एसपीडी-ए की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 2072 के खाता नं. 21/18 के 7.843 है0 रकबा में अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1.743 है0 रकबा में से 1.247 है0 व अप्रार्थी नं. 2 के नाम 0.506 है0 एवं इसी चक की इसी जमाबन्दी के खाता नं. 22/19 प0न0 99/392 के 1.392 है0 रकबा में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम 0.211 है0 व अप्रार्थी नं. 2 के नाम की 0.253 है00 रकबा को रहन, बैय ना करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक .. 30/09/19..... को पेश हो।

**उपखण्ड अधिकारी**  
सुरतगढ़

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी / वकील उभय पक्ष  
द्वारा SDO को दी गई पत्रावली पर /  
अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक ..  
04/10/19 को पेश हो।

श्री. रामप्रताप तिणारी ने प्रति. 1 ता. 19 भी  
ओर से पत्रावली पेश किया है।

आज मह पत्रावली वकील वादीगण द्वारा प्रार्थीगण को पेशी में लगे का प्रकृत दिनांक वकील वादीगण ने लिफ्टे डिमा की वे पक्षा स्वी स्तर पर विश्वास करता चाहते हैं अतः वाद का

मनीराम को मोटाराम न गांव ... ..  
पोषण मोटाराम ने ही किया था व प्रार्थीगण के पडदादा मोटाराम के फौत हो

*(Handwritten signature)*

लगातार पेज 2 पर

22/10/19

क्रमांक / राजपत्र

पेशी में आद लिखे को का विवेक सिद्ध  
 अतः प्रत्येक चीमा विमा प्राप्त पत्राणी पेशी में  
 मी गरी प्रथमिण/वापरीण ने लिखे विमा  
 की प्रथमिण/अपरीण का (परीण) ही  
 गमा ही अतः को वि विमा की 2019  
 ही अतः प्रथमिण withdraw करके  
 प्रथमिण जीमा - अतः वि विमा withdraw  
 को के अतः वि विमा ही मीमा  
 तंतु वि विमा ही वि विमा ही

श्रीमा

Poldeep

आदि उपाय मी

उपाय अधिकारी  
उपाय